

एक जनपद एक व्यंजन (ODOC)

वित्त पोषण सहायता योजना (मार्जिन मनी)

दिशा-निर्देश, पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
आवेदकों, उद्यमियों और सहायता केंद्रों के लिए सरल हिंदी में SOP आधारित संक्षिप्त मार्गदर्शिका

आधार दस्तावेज़	शासनादेश संख्या I/1355446/2026/18-4099/18/2026
दिनांक	05 जून 2026
योजना	वित्त पोषण सहायता योजना (मार्जिन मनी)

यह मार्गदर्शिका सुविधा के लिए तैयार की गई है। किसी विसंगति की स्थिति में मूल शासनादेश/SOP के प्रावधान मान्य होंगे।

योजना का उद्देश्य

जनपद के चिन्हित विशिष्ट व्यंजनों का मूल्य संवर्धन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता सुधार तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। इसके लिए ODOC व्यंजनों की विभिन्न गतिविधियों में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों और इकाइयों को बैंक ऋण के साथ मार्जिन मनी सहायता दी जाती है।

किन परियोजनाओं को सहायता मिल सकती है

संबंधित जनपद के चिन्हित ODOC व्यंजन से जुड़ी नई इकाई, विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण की इकाई पात्र हो सकती है। प्रमुख अनुमन्य गतिविधियाँ:

- उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों की स्थापना।
- आधुनिक पैकेजिंग और लेबलिंग मशीन, रैपर, सीलर आदि।
- कोल्ड चेन/कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजर, रीफर वैन, मिनी कोल्ड रूम आदि।
- फूड टेस्टिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले उपकरण।
- व्यंजन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली मशीनें।
- क्लाउड किचन की स्थापना।
- अन्य ऐसी गतिविधियाँ जो चिन्हित ODOC व्यंजन को प्रतिस्पर्धी बनाती हों।

मार्जिन मनी सहायता

योजना का वित्त पोषण राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य शिड्यूल्ड बैंक करेंगे। विभाग द्वारा पात्र दावे के सापेक्ष मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

कुल परियोजना लागत	अनुमन्य मार्जिन मनी
₹25 लाख तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹6.25 लाख - जो भी कम हो।
₹25 लाख से अधिक और ₹50 लाख तक	₹6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत - जो भी अधिक हो।
₹50 लाख से अधिक और ₹150 लाख तक	₹10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत - जो भी अधिक हो।
₹150 लाख से अधिक	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम ₹50 लाख - जो भी कम हो।

लाभार्थी का स्वयं का अंशदान

सामान्य श्रेणी: कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत।
विशेष श्रेणी: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन के लिए कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत।

परियोजना लागत में क्या शामिल होगा

पूंजीगत व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र। किराए पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिया जा सकता है, पर भूमि खरीद की लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं होगी।

पात्रता की शर्तें

1. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. किसी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3. सहायता केवल संबंधित जनपद के लिए चिन्हित ODOC व्यंजन की उद्योग, सेवा या व्यवसाय क्षेत्र की इकाई को मिलेगी।
4. आवेदक/इकाई किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सरकारी संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर) न हो।
5. आवेदक ने भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न लिया हो।
6. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजना में केवल एक बार लाभ दिया जाएगा।
7. पात्रता शर्तें पूरी करने के संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन श्रेणी के लाभार्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

आवेदन और चयन प्रक्रिया

1. विभागीय पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के साथ शपथ पत्र, परियोजना प्रपत्र और सभी आवश्यक/संगत अभिलेख संलग्न करें।
2. आवेदन का चयन स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाएगा और पात्र आवेदन ऑनलाइन संबंधित वित्तीय संस्था को भेजा जाएगा।
3. जिला उद्योग केंद्र चयन के बाद 7 दिन के भीतर आवेदन बैंक शाखा को भेजेगा।
4. बैंक शाखा आवेदन मिलने के 1 माह के भीतर ऋण स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पर निर्णय लेगी।

ऋण, प्रशिक्षण और मार्जिन मनी की प्रक्रिया

क्र.	प्रक्रिया
1	बैंक से ऋण स्वीकृति के बाद नए लाभार्थी को प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व प्रशिक्षित लाभार्थी को आवश्यकता के अनुसार छूट मिल सकती है।
2	प्रशिक्षण के बाद बैंक ऋण वितरण करेगा और 15 दिन के भीतर प्रथम किस्त लाभार्थी को देगा।
3	प्रथम किस्त के वितरण के 7 दिन के भीतर बैंक शाखा मार्जिन मनी का ऑनलाइन दावा संबंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से करेगी।
4	दावा मिलने के 7 दिन के भीतर उपायुक्त उद्योग द्वारा DBT माध्यम से मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी।
5	मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में TDR के रूप में रहेगी। मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा।
6	परियोजना के सफल संचालन और कोई डिफॉल्ट न होने पर 2 वर्ष बाद संयुक्त निरीक्षण के उपरांत मार्जिन मनी बैंक ऋण में अनुदान के रूप में समायोजित होगी।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

- जानबूझकर ऋण का दुरुपयोग होने पर बैंक मार्जिन मनी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को वापस करेगा।
- दैवीय आपदा या अन्य असाधारण परिस्थिति में परियोजना बंद होने पर बैंक मार्जिन मनी को ऋण के सापेक्ष समायोजित कर सकता है।
- मार्जिन मनी का अंतिम अनुदान समायोजन जिला उद्योग केंद्र और संबंधित बैंक के संयुक्त निरीक्षण के बाद ही होगा।
- योजना की समीक्षा जिला स्तर पर BLBC, DCC, DLRC और जिला स्तरीय समिति तथा राज्य स्तर पर SLBC द्वारा की जाएगी।
- लाभ बजट उपलब्धता, पात्रता की पुष्टि और सक्षम प्राधिकारी/बैंक के निर्णय के अधीन रहेगा।

स्रोत

एक जनपद एक व्यंजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी शासनादेश संख्या I/1355446/2026/18-4099/18/2026, दिनांक 05-06-2026। यह सरल सार है; मूल SOP/शासनादेश सर्वोपरि होगा।